

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::

Section-
Date 17 SEP 2021

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
higher-education@c.g.gov.in

क्रमांक एफ17-41/2021/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर दि./6/09/2021
प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

विषय :- सत्र 2021-22 में सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग
छ.ग. में नवीन पाठ्यक्रम/संकाय/अतिरिक्त अनुभाग प्रारंभ करने की अनुमति
विषयक।

संदर्भ :- आपका प्रस्ताव क.186/आउशि/अ.शै.प्र./2021,जावक 91 दि. 06.08.2021

-----00-----

राज्य शासन, एतद् द्वारा, सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय,
दुर्ग छ.ग. को वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना
एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 तथा छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था
(स्थापना एवं विनियमन) नियम, 2007 के प्रावधानों के तहत निम्नानुसार सीट के साथ
नवीन विषय प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	कक्षा / विषय	सीट संख्या
01.	बी.पी.ई. (नवीन विषय)	40 सीट
02.	पी.जी.डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन एण्ड फिलोसाफी (नवीन विषय)	30 सीट

2/-

उपरोक्त अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. छ.ग. अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 का पालन किया जाए।
2. परिनियम 28 के अंतर्गत शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति की जाए।
3. पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकें, उपकरण एवं फर्नीचर कय की जाए।
4. नियमानुसार कायिक निधि एवं आवश्यक शुल्क जमा किया जाए।
5. बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान किया जाए।
6. कांडिका 18 की पूर्ति की जाए।
7. संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त संबद्धता संबंधी शर्तों को
समय-सीमा में पूर्ण करना महाविद्यालय का दायित्व होगा।
8. समस्त शर्तों को पूर्ण करने के उपरांत उच्च शिक्षा संचालनालय को की गई
कार्यवाही से अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाए।
9. शासन द्वारा जारी किया गया आदेश शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिये ही
मान्य होगा।